

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwar@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/सा.चि./2022/2410

छिंदवाड़ा दिनांक 12/10/2022

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक

वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड

पेंच क्षेत्र परासिया

- विषय :- Diversion of 385.841 ha Forest land (including 340.148 ha forest land and 45.693 ha of Revenue Forest Land) in favour of M/s. Western Coalfields Limited for Dhankasa Under Ground Coal Mining Project and construction of road in West Chhindwara District under the Chhindwara Forest Division, Madhya Pradesh.
- संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/8-47/2017 -एफ.सी. दिनांक 02.01.018 एवं मुख्य वन संरक्षक छिंदवाड़ा वन वृत्त छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक 216 दिनांक 11.10.2022

—00—

विषयांकित पत्र में लेख है कि, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत वनपरिक्षेत्र परासिया के आरक्षित वनखंड 41 नेहरिया के कक्ष क्रमांक 736, 737, 738, 739, 740 रकबा 340.148 हेक्टेयर वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि (छोटे-बड़े झाड़ का जंगल) ग्राम पायली में खसरा क्र. 154, 195/1, 195/3, 216, 217, 219, 220, 223, 224, 228, 232 रकबा 8.567 हे. एवं सैजवारा में खसरा क्र. 394, 398, 401, 405, 407, 421, 437 रकबा 10.810 हे. एवं बांकी में खसरा क्र. 53/1, 55, 56 रकबा 2.992 हे. एवं नेहरिया में खसरा क्र. 4, 46/1क, 68/1, 72/1 क, 81/1 क, 83, 84/1 क, 113/1, 117, 120/1, 120/5, 120/7, 122/1, 130/1, 143/1, 148, 149/1, 237/1, 353/1, 354 रकबा 23.375 कुल राजस्व भूमि रकबा 45.694 हेक्टेयर कुल प्रस्तावित रकबा 385.481 हेक्टेयर (धनकशा कोयला खदान) भूमिगत कोयला उत्खनन हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पेंच क्षेत्र परासिया जिला छिंदवाड़ा को भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ 8 - 45/2017 - एफ सी दिनांक 02.01.2018 से प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 9 एवं 21 का पालन आपके द्वारा किया जाना है।

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 9 के पालन हेतु चयनित गैर वन भूमि, ग्राम सिरगोरी कला पटवारी हल्का तेंदूखेड़ा खसरा क्रमांक 1/1 रकबा 11.404 हे० न्यायालय कलेक्टर छिंदवाड़ा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-19(4)/2022-23 दिनांक 07.09.2022 से वन विभाग को हस्तांतरण का आदेश किया गया है। वनपरिक्षेत्राधिकारी परासिया द्वारा प्राप्त गैर वन भूमि रकबा 11.404 हे० क्षेत्र की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राशि रु. 71.24 लाख की तैयार किया जाकर मुख्य वन संरक्षक छिंदवाड़ा वन वृत्त छिंदवाड़ा की ओर तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था।

मुख्य वन संरक्षक छिन्दवाड़ा वन वृत्त छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक 216 दिनांक 11.10.2022 से राशि रु. 71.24 लाख की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है।

व्यपवर्तित वनभूमि/राजस्व वनभूमि रकबा 385.148 हे० क्षेत्र में निर्धारण की गई शर्त क्रमांक 9 के पालन हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण की कुल राशि रु. 71.24 लाख जमा किया जाना है।

निर्धारण की गई वृक्षारोपण की कुल राशि रु. 71.24 लाख में से रोपण की राशि रु. 64,76,384.00 ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन कैम्पा मद के खाता में जमा करें। कैम्पा मद ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जमा राशि रु. 64,76,384.00 का 72 घंटे बाद बैंक स्टेटमेंट, यू.टी. आर. नंबर की छायाप्रति प्रस्तुत करें एवं शेष पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रु. 6,47,616.00 को जिला कोषालय वेब पोर्टल के माध्यम से मद 0406-01-800-0229- विविध में चालान ऑनलाईन भुगतान कर चालान की प्रति कोषालय से सत्यापित कराकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 9 एवं 22 के पालन उपरांत समस्त शर्तों का 1 से 36 का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र शर्तवार प्रस्तुत करें, ताकि अंतिम स्वीकृति हेतु शासनाधीन की ओर लेख किया जा सकें।

वनमंडलाधिकारी

पुश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा
छिंदवाड़ा, दिनांक/12/11/2022

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि/2022/ 2411

प्रतिलिपि :- (1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष-भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य वन संरक्षक, छिंदवाड़ा वनवृत्त, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(3) उपवनमंडलाधिकारी परासिया सा. उपवनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(4) वनपरिक्षेत्राधिकारी परासिया सा. वनपरिक्षेत्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया परियोजना में दी गई स्वीकृति में शर्तों का पालन करवाना सुनिश्चित करें।

वनमंडलाधिकारी

पुश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा